



- |   |   |
|---|---|
| 1. निदेशक,<br>प्रारम्भिक शिक्षा<br>राजस्थान, बीकानेर                                | 2. आयुक्त,<br>राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद<br>राजस्थान, जयपुर |
| 3. निदेशक,<br>महिला एवं बाल विकास विभाग<br>राजस्थान, जयपुर                          | 4. उपनिदेशक,<br>प्रारम्भिक शिक्षा विभाग<br>समस्त संभाग            |
| 5. उपनिदेशक,<br>महिला एवं बाल विकास विभाग<br>समस्त जिला                             | 6. जिला शिक्षा अधिकारी,<br>प्रारम्भिक शिक्षा,<br>समस्त जिला       |
| 7. बाल विकास परियोजना अधिकारी<br>महिला एवं बाल विकास विभाग<br>समस्त ब्लॉक, राजस्थान | 8. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी,<br>समस्त ब्लॉक, राजस्थान      |

**विषय:**—आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 के राजकीय उम्मीदवालयों द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिशा निर्देश।

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक-बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से उनके आस स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दिशा-निर्देश विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 8.8.2016 द्वारा जारी किये गये हैं।

इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से आस-पास स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संलग्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

शासन सचिव,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
राजस्थान सरकार, जयपुर

१४/३/१६  
शासन सचिव,  
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग  
राजस्थान सरकार, जयपुर

## राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों के पर्यवेक्षण में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रभावी पूर्व -प्राथमिक शिक्षा के संचालन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सयुक्त रूप से जारी दिशा-निर्देश :—

राज्य सरकार बच्चों एवं महिलाओं के समेकित एवं समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार) एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयु वर्ग का मानक 3 से 6 वर्ष है (अनुलग्नक-2 एन.सी.एफ 2005)

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक-बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

\* राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों के माध्यम से उनके आस-पास स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों की क्रियान्विति से निम्नलिखित लाभ होंगे :—

- i) उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों/शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण से लगभग 20,000 आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत प्रभावी रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ii) आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं का 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा 1 में आसानी से नामांकन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- iii) गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित होने से प्राथमिक कक्षाओं के सुदृढीकरण के स्तर में वृद्धि होगी।
- iv) इन आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

यह दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं उनसे संबद्ध आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लागू होंगे।

### 1. भवन सम्बन्धी (Infrastructure)

- 1.1 ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें पूर्व में ही विद्यालय परिसर में आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं उसे यथावत संचालित करते हुए, पूर्ण रूप से विद्यालय की संचालन प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा किन्तु आँगनबाड़ी केन्द्रों का समय ICDS द्वारा निर्धारित समय- सारणी के अनुरूप होगा।

- 1.2 जिन विद्यालय परिसरों में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हैं उन विद्यालयों में यथा सम्भव निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रथम चरण में केवल वे ही आंगनबाड़ी केन्द्र स्थानान्तरित किये जायेंगे, जिनका कवरेज क्षेत्र विद्यालय भवन से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर एवं भवन विहीन हैं।
- 1.3 उपरोक्त स्थिति के अनुसार यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय में पृथक कक्ष उपलब्ध नहीं हैं परन्तु एक कक्ष निर्माण का स्थान है तो सांसद क्षेत्रीय विकास कोष, विधायक विकास कोष, भारातीय एवं दानदाताओं के सहयोग से कक्ष का निर्माण बाल मित्र कक्ष की तर्ज पर किया जा सकता है।
- 1.4 विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष/पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने पर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र को उसी स्थान पर संचालित रखते हुए विद्यालय की संचालन प्रक्रिया से समन्वित किया जायेगा किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय ICDS द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप होगा।
- 1.5 विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी कक्ष के आस-पास ही बच्चों के खेलने के लिए स्थान का निर्धारण किया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रधानाध्यापक की होगी। आंगनबाड़ी केन्द्र में आने वाले बच्चों के लिए खेलने का स्थान तथा विद्यालय की अन्य कक्षाओं के बच्चों के खेलने के लिए स्थान यथा सम्भव पृथक-पृथक होगा।
- 1.6 कक्षा 1 व 2 के बच्चे भी आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए खेलने के निर्धारित स्थान पर खेल सकते हैं परन्तु ऐसी स्थिति में कक्षा 1 व 2 को पढ़ाने वाले किसी एक शिक्षक/शिक्षिका को बच्चों के साथ उस स्थान पर रहना आवश्यक होगा।

## 2. संचालन एवं समन्वयन (Implementation)

- 2.1 उच्च प्राथमिक विद्यालय से संबंधित आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालय की संचालन प्रणाली के साथ समन्वित होगा।
- 2.2 उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए बनाए जाने वाली वार्षिक कार्ययोजना में आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन की वार्षिक कार्य योजना समाहित होगी।
- 2.3 उच्च प्राथमिक विद्यालय के संचालन के लिए निर्धारित विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यक्षेत्र में आंगनबाड़ी भी शामिल होगी अर्थात् विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में विद्यालय के संचालन से संबंधित चर्चाओं एवं निर्णयों के साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्र के संचालन पर भी चर्चा एवं निर्णय लिए जा सकेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के एजेण्डा एवं कार्यवृत्त में आंगनबाड़ी केन्द्र को भी शामिल किया जाएगा।

2.4 विद्यालय प्रबंधन समिति में लिए गए किसी निर्णय के क्रियान्वयन में यदि किसी राशि की आवश्यकता है तो उसका प्रावधान समेकित बाल विकास परियोजना की बजट मद में भारत सरकार की गाइड लाइन के तहत स्वीकृत मद एवं प्रक्रिया के यथानुरूप किया जा सकता है।

2.5 आँगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली अभिभावक बैठक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक एक ही दिन आयोजित की जाएगी। आयोजन की तिथि उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा तय की जाएगी तथा तिथि की सूचना सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक रूप से बैठक के 7 दिन पूर्व लिखित में प्रधानाध्यापक द्वारा दी जाएगी।

2.6 विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक के दिन आँगनबाड़ी केंद्र से संबंधित महिला पर्यवेक्षक की उपस्थिति आवश्यक है। बैठक की सूचना महिला पर्यवेक्षक तक समय पर पहुंचाने की संपूर्ण ज़िम्मेदारी विद्यालय प्रशासन की होगी।

2.7 समन्वित बैठक में आँगनबाड़ी केंद्र पर नामांकित बच्चों की उपस्थिति, नियमितता एवं शैक्षिक प्रगति एवं समग्र विकास पर चर्चा की जाएगी। आवश्यकतानुसार समिति के सदस्यों के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को सूचित किया जाएगा।

2.8 समन्वित बैठक की कार्यवाही विवरण में आँगनबाड़ी की समीक्षा के लिए की गई चर्चा को पृथक से दर्ज किया जाएगा।

2.9 सम्बन्धित आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य/पीईईओ द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में की जाने वाले पर्यवेक्षण के दौरान आँगनबाड़ी केन्द्र का भी पर्यवेक्षण किया जावे।

### 3. एन.टी.टी शिक्षकों के सम्बन्ध में (NTT Teachers)

3.1 राजस्थान के कतिपय क्षेत्रों में एन टी टी शिक्षक आँगनबाड़ी केंद्रों पर नियुक्त किए गए हैं। उक्त शिक्षकों पर पूर्ण नियन्त्रण आईसीडीएस का होगा।

3.2 यदि विद्यालय से संबद्ध आँगनबाड़ी में एन टी टी शिक्षक कार्यरत हैं तो आँगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में पूरे समय एन टी टी शिक्षक ही आँगनबाड़ी केंद्र का संचालन करेंगे। नर्सरी शिक्षक (एनटीटी) की उपस्थिति का प्रमाणन प्रधानाध्यापक से भी कराया जायेगा। तदनुसार सीडीपीओ द्वारा वेतन का आहरण किया जायेगा। शेष नियन्त्रण विभागीय अधिकारियों का रहेगा।

4. विद्यालयों से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों का पर्यवेक्षण एवं संबलन (Supervision & Support)

- 4.1 विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की एक समन्वित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- 4.2 आंगनबाड़ी का समय पूर्व निर्धारित समयानुसार ही रहेगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का उपस्थिति रजिस्टर प्रधानाध्यापक कक्ष में रखा जाएगा। प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र खोलने से पूर्व उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की उपस्थिति को रजिस्टर में प्रमाणित करेंगे।
- 4.3 विद्यालय में प्रारम्भिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले वाले शिक्षक (प्राथमिकता से महिला शिक्षक) आंगनबाड़ी केंद्र में अकादमिक मेंटर की भूमिका निभाएंगे। प्रधानाध्यापक किसी एक महिला शिक्षक को प्रभारी अधिकारी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा नियुक्त करेंगे एवं नियुक्ति आदेश की प्रति संबंधित उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- 4.4 विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अवकाश पर रहने अथवा अनुपस्थिति रहने की स्थिति में प्रभारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित महिला पर्यवेक्षक एवं प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे एवं वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कक्षा 7 की बालिकाओं के सहयोग से बच्चों के साथ खेल गतिविधियों का संचालन करेंगे।
- 4.5 विद्यालय के समस्त शिक्षकों की प्रशासनिक एवं शैक्षिक समीक्षा बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भी बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होंगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक के द्वारा की जाती है।
- 4.6 समेकित बाल विकास परियोजना के तहत प्रति माह प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखभाल दिवस (ई.सी.सी.ई.-डे) मनाया जाना जाता है। (अनुलग्नक-1 ई.सी.सी.ई. दिवस आदेश)
- 4.7 विद्यालय से सम्बद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों में ईसीसीई दिवस की कार्ययोजना प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में प्रभारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा बनाई जाएगी। ई.सी.सी.ई. दिवस के आयोजन में कक्षा 7 की बालिकाओं को भी सम्मिलित किया जाएगा।
- 4.8 ई.सी.सी.ई दिवस की कार्ययोजना विद्यालय प्रबंधन समिति की समन्वित बैठक में साझा की जाएगी एवं समिति से अपेक्षा की जाएगी की ई.सी.सी.ई. दिवस पर अधिक से

अधिक अभिभावकों को जोड़ने में मदद करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ई.सी.सी.ई. दिवस पर आने के लिए सूचित एवं प्रेरित करें। ई.सी.सी.ई. दिवस का आयोजन करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता महिला बाल विकास परियोजना के प्रावधान के अनुसार की जायेगी।

- 4.9 आंगनबाड़ी केन्द्र पर दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता के परिवेक्षण का कार्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि आंगनबाड़ी की समयसारिणी के अनुसार बच्चों को समय पर एवं तय मापदण्डानुसार भोजन उपलब्ध हो।
- 4.10 प्रत्येक माह प्रधानाध्यापक आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों की प्रगति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक तीन माह में एक बार प्रधानाध्यापक आंगनबाड़ी केंद्र की समग्र कार्ययोजना बनाएंगे एवं समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें बैठक का संक्षिप्त कार्यविवरण लिखा जाएगा तथा सभी उपस्थित संभागी हस्ताक्षर करेंगे।
- 4.11 समेकित बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र का पर्यवेक्षण किया जाता है। विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्र के पर्यवेक्षण के पश्चात् महिला पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में दर्ज कर हस्ताक्षरयुक्त प्रति अपने विभाग में संबंधित सी.डी.पी.ओ. कार्यालय के साथ-साथ प्रधानाध्यापक को भी प्रस्तुत करेंगी।
- 4.12 सी.डी.पी.ओ. प्रति माह महिला पर्यवेक्षक द्वारा दी गई पर्यवेक्षण रिपोर्ट्स के आधार पर विद्यालयों से सम्बद्ध आंगनबाड़ियों के पर्यवेक्षण की समेकित रिपोर्ट उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- 4.13 राज्य सरकार द्वारा पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य द्वारा परिसर में स्थित अथवा सम्बद्ध आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया जाना था। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक तय प्रारूप में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की समीक्षा रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- 4.14 जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा प्रति माह तय प्रारूप के अंतर्गत विद्यालयों से आंगनबाड़ी के संचालन की प्रस्तुत रिपोर्ट्स को समेकित कर प्रत्येक तीन माह में उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

- 4.15 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रत्येक तीन माह में एक बार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्थित आगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की समीक्षा करेंगे एवं समीक्षा प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत करेंगे।
- 4.16 ब्लॉक स्तर पर उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम) की अध्यक्षता में सी.डी.पी.ओ एवं संबंधित संस्थाप्रधान की उपस्थिति में प्रति तीन माह में एक बार कार्य की समीक्षा की जाएगी।
- 4.17 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विद्यालय से संबंधित पूर्व में ही गठित निष्पादक समिति में छह माह में एक बार उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा सयुंक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा कार्य की समीक्षा की जाएगी। इस समिति के एजेण्डा में ई.सी.सी.ई. की समीक्षा को शामिल किया जाएगा। एक समन्वित प्रतिवेदन निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाएगा।
- 4.18 निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग प्रत्येक छह माह में एक समेकित रिपोर्ट सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- 4.19 राज्य स्तर पर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग की सदस्यता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्येक छह माह में एक बार बैठक कर समन्वित कार्यक्रम की समीक्षा कर संबंधित विभाग में मंत्री महोदय / महोदया को नीतिगत निर्णयों हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

## 5. अभिलेख संधारण (Data Tracking)

- 5.1 सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों का समस्त डाटा शाला दर्शन पोर्टल पर एकत्रित किया जा रहा है। विद्यालय में समायोजित/स्थानान्तरित आँगनबाड़ी केन्द्र का डाटा समेकित बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित राजपोषण पोर्टल एवं आरआरएस-एनआईएस से शाला दर्शन में संबंधित विद्यालय के डाटा के साथ साझा किया जाएगा।

6. विद्यालय से सम्बद्ध आँगनबाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास परियोजना के तहत संचालित

#### अन्य गतिविधियां (Other Activities of Anganbaries)

- 6.1 समेकित बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य पांच सेवाएं भी संचालित की जाती है। (अनुलग्नक-३ आँगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित सेवाओं सम्बन्धी निर्देश)
- 6.2 आँगनबाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास सेवाएं के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त संचालित अन्य सेवाएँ यथावत संचालित की जाएंगी।
- 6.3 समेकित बाल विकास सेवाएं की अन्य सेवाओं पर प्रधानाध्यापक का एक दिवसीय वार्षिक आमुखीकरण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के तत्वाधान में किया जाएगा।
- 6.4 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध आँगनबाड़ी पर संचालित अन्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं नियमितता के संदर्भ में विद्यालय की भूमिका सहयोगी के रूप में होगी।
- 6.5 विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में अन्य सेवाओं पर अध्यक्ष की अनुगति से ही चर्चा की जा सकेगी।
- 6.6 अन्य सेवाओं से संबद्ध समस्त रिकॉर्ड संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षक की होगी।
- 6.7 आँगनबाड़ी केन्द्रों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरित करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जा रही सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े।
- 6.8 यह भी ध्यान रखा जाये कि सम्बन्धित आईसीडीएस सेवाएं जो उस आँगनबाड़ी के द्वारा दी जा है उस क्वरेज एरिया का लाभान्वित वर्ग लाभ से वचित न रहे तथा एस.सी./एस.टी./पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक इत्यादि के क्वरेज का विशेष ध्यान रखा जाये।
- 6.9 आँगनबाड़ी केन्द्रों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरित करते समय भारत सरकार द्वारा आँगनबाड़ी संचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाये।

राजस्थान सरकार

## निदेशालय समेकित बाल विकास संवाएं

क्रमांक : F26/(4)/ECCE/ICDS/2012/148376-395

जयपुर दिनांक 3.12.13

उपनिदेशक,

महिला एवं बाल विकास विभाग,  
अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर, बीकानेर,  
चित्तौडगढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, झूंगरपुर,  
जयपुर, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, कोटा,  
राजसमन्द, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोक एवं उदयपुर

**विषय :-** मासिक ईसीसीई दिवस मनाये जाने के दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मासिक ईसीसीई दिवस मनाया जाना है। जो कि बच्चों की परिचर्या एवं शिक्षा हेतु जागरूकता लाने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अन्तर्गत गांवों में वरिष्ठ नागरिकों, स्थानीय दस्तकारों, बच्चों के परिवार के वरिष्ठजन इत्यादि की सहभागिता से प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर उक्त दिवस को मनाया जाना है और बच्चों की परिचर्या एवं शाला पूर्व शिक्षा हेतु जानकारी का प्रसारण समुदाय में करना है। इस प्रकार ईसीसीई दिवस द्वारा समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ –साथ बच्चों के विकास, वृद्धि एवं अर्जन की प्रवृत्ति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

नियमित रूप से आयोजित जाने वाले मासिक ईसीसीई दिवस के फलस्वरूप निम्न परिणामों की अंपेक्षा की जाती है –

- समुदाय में ईसीसीई के प्रति जागरूकता उत्पन्न होना।
- आँगनबाड़ी केन्द्र पर बालिकाओं सहित सभी बच्चों का नामांकन होना।
- ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों की खेल-कूद गतिविधियों हेतु स्थानीय सामग्री एवं सस्ती सामग्री की उपलब्धता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- ईसीसीई को बच्चों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में अभिभावकों की भूमिका पर ज्यादा जोर देना।
- अभिभावकों का बच्चों के मूल्यांकन के पश्चात बच्चों की प्रगति के बारे में सूचित करना।

- किफायती तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से शाला पूर्व शिक्षण सामग्री तैयार करने में स्थानीय कारीगर आदि की भूमिका के बारे में समुदाय को जागरूक करना। इसीसीई दिवस प्रत्येक ऑंगनबाड़ी केन्द्र पर माह के किसी एक गुरुवार अथवा सोमवार को आयोजित किया जाना है (जिस दिन शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस नहीं मनाया जाता है) इस हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अपनी परियोजना की समस्त ऑंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए विस्तृत कलैण्डर जारी किया जायेगा।

इसीसीई दिवस आयोजन के लिए बच्चों के खेलने हेतु स्थानीय सामग्री से तैयार खिलौने, शिक्षण सामग्री, शाला पूर्व शिक्षा किट, बच्चों से संबंधित अन्य सामग्री का उपयोग किया जाना है। इसीसीई दिवस में निम्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है –

- ऑंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- ऑंगनबाड़ी सहायिका
- आशा–सहयोगिनी
- ऑंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी) (ऑंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत होने के स्थिति में।)
- पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य।
- सामुदायिक संगठनों के सदस्य।
- इसीसीई क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
- प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक।
- वृद्धजन तथा दादा–दादी/नाना–नानी
- स्थानीय कारीगर एवं कलाकार
- समुदाय के प्रतिनिधि
- महिला मंडल के सदस्य
- यूथ वलब एवं नेहरू युवा केन्द्र कार्यालय के सदस्य
- सबला एवं किशोरी शक्ति योजना की सर्खी/सहेली

उपनिदेशक, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा संबंधित महिला पर्यवेक्षक केन्द्र का अवलोकन करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सम्बल प्रदान करेंगे।

इसीसीई दिवस आयोजन से पूर्व निम्न प्रकार से तैयारी सुनिश्चित की जानी है :-

- जिला स्तर पर कार्यशाला:- जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन संबंधित जिला उपनिदेशक की अध्यक्षता में किया जाये, जिसमें जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी भाग ले और उन्हें इसीसीई दिवस के आयोजन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में बतायें।

- परियोजना/ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला:- परियोजना/ब्लॉक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जावे, जिसमें परियोजना की समस्त महिला पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया जावें इस बैठक में निम्नलिखित बातों के विषय में समझाया जाएः—
- समुदाय से जुड़ाव एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।
- आँगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।
- स्थानीय कलाकर/कारीगर तथा दृश्य-श्रव्य माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से सहयोग/भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।
- दूरदर्शन, आकाशवाणी, एफ.एम, नुककड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।
- माइक्रोप्लान को अद्यतन करना:- माइक्रोप्लान को अद्यतन किया जाए, जिसमें परियोजना के समस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों को सम्मिलित किया जाए। माइक्रोप्लान प्रपत्र 1 व प्रपत्र 1-A में बनावें। यह कार्य 30.11.2013 तक सम्पन्न हो जाना चाहिए।

मासिक ईसीसीई दिवस आयोजन के एक दिन पूर्व की जाने वाली व्यवस्थाओं की चैक लिस्ट निम्न प्रकार से होगी:-

- अगर आँगनबाड़ी भवन पर स्थान की उपलब्धता नहीं हो तो उचित स्थान का इंतजाम करना (प्राथमिक विद्यालय/पंचायत भवन को प्राथमिकता देते हुए)।
- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के स्थान तथा समय के संबंध में अग्रिम सूचना व प्रचार-प्रसार।
- 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
- पूरक पोषाहार की व्यवस्था।
- मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
- विषय आधारित काग्रक्रमों का निर्धारण करना।
- शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना।
- अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बनाकर उनको संतुष्ट करना।
- ममता कार्ड, आईपीसी टूल किट और अन्य सामग्री की व्यवस्था करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
- आँगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना।
- वृद्धजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
- नजदीकों प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आमंत्रित करना ताकि आँगनबाड़ी केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारू पारगमन हो सके।

- परियोजना में होने वाली बेर्स्ट प्रैविट्स का अनुसरण करना।

मासिक ईसीसीई दिवस पर चर्चा के मुख्य बिन्दु के अन्तर्गत समुदाय एवं अभिभावकों के समतावर्धन हेतु आमुखीकरण सत्र एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि शिशु को पूर्व शिक्षा अवस्था की मुख्य परिचर्या करने वाले यही लोग हैं। नियत मासिक ईसीसीई दिवस पर चर्चा हेतु निम्न में से किसी भी विषय का चुनाव किया जा सकता हैः—

- पूर्व बाल्यवस्था देखभाल का महत्व
- अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा एवं ईसीसीई का महत्व
- शिशु के शुरुआती सालों में वृद्धि एवं विकास का महत्व, विकास के बाधक, तथा शारीरिक विकार के चिन्ह
- शुरुआती प्रेरण
- घर पर देखभाल
- खेलकूद का महत्व
- अच्छी आदतों का निर्माण
- ईसीसीई में समुदाय एवं अभिभावकों की भूमिका
- बच्चों को शाला पूर्व तैयारी
- माताओं तथा युवतियों की भागीदारी से आँगनबाड़ी केन्द्र के विभिन्न कार्यों को करने हेतु एक तंत्र का निर्माण करना। (जैसे— खाना बनाना एवं वितरित करना, बाहरी खेल—कूद की गतिविधियों का आयोजन करना आदि)
- मातृ समितियां तथा अभिभावकों की समितियों के माध्यम से बच्चों को गायन, भावगीत, कहानियां आदि की तैयारी करवाना।
- अन्य मुददे जो कि समुदाय की आवश्यकतानुसार चिन्हित किये जा सकें

मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में पंचायती राज संस्थाओं/नगर निकायों की भूमिकों की भूमिका निम्न प्रकार से सुनिश्चित की जानी हैः—

- यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक संगठनों के सदस्यों ईसीसीई दिवस के सत्रों हेतु उपलब्ध हो।
- स्कूल अध्यापक तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की भागीदारी रुनिश्चित करना।
- स्वच्छ पीने का जल, उचित साफ—सफाई तथा अन्य चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि ईसीसीई दिवस का सुचारू रूप से आयोजन हो सकें

ईसीसीई दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के अन्तर्गत मुख्यतया: 3 प्रकार की सावधिक गतिविधियां निर्धारित की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं—

- मसिक
- द्विमासिक

### ● अर्द्धवार्षिक

उक्त गतिविधियों का विस्तृत विवरण निम्नप्रकार से हैः—

1. मासिकः— इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्न 9 गतिविधियां निर्धारित की गई हैः—

- बच्चों द्वारा दैनिक गतिविधियों के दौरान किए गए कार्यों का प्रदर्शन (जैसे— कला एवं क्राफ्ट का कार्य, मॉडल, वर्ककशीट आदि)।
- बच्चों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय के समक्ष गतिविधियों का प्रदर्शन एवं उन गतिविधियों के आयोजन का औचित्य बताना।
- अभिभावक एवं आँगनबाड़ी कार्यकर्ता में पारस्परिक विचार-विमर्श एवं बच्चों के कार्यों का आदान-प्रदान तथा उसकी प्रतिपुष्टि (फीडबैक)
- ईसीसीई से संबंधित दृश्य-श्रव्य सामग्री, चार्ट आदि का प्रदर्शन
- ईसीसीई दिवस हेतु तैयार की गई सूची जिसमें अभिभावकों से चर्चा हेतु मुद्रे निर्धारित किए गए हो, उनमें से किसी एक पर चर्चा का आयोजन करना।
- बच्चों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को प्रोत्साहन राशि, पुरुस्कार आदि प्रदान करने हेतु समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- आँगनबाड़ी केन्द्र पर एक कोना निर्धारित करना यहां पर अभिभावक/समुदाय खिलौने, किताबें, कठपुतली और अन्य खोलने एवं सीखने की सामग्री दान कर सके तथा उसका टॉय बैंक/गतिविधि बैंक/बुक बैंक के रूप में उपयोग करना।
- स्थानीय सांस्कृतिक कहानियां, कविताएं, गाने, खेल, चित्रकला एवं अन्य गतिविधियों का संकलन कर गतिविधि बैंक के रूप में उपयोग करना।
- आँगनबाड़ी सेन्टर पर एक गतिविधि कोना बनाकर वहां पर बच्चों से ब्लॉक का खेल, कला एवं क्राफ्ट, भाषा प्रकृति एवं विज्ञान संबंधी गतिविधियां करवाना।

2. द्विमासिकः— यह गतिविधियाँ प्रत्येक 2 माह में एक बार आयोजित की जानी है। जो निम्नप्रकार से हैः—

- आँगनबाड़ी के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नृत्य, नाटक, कविता पठन, रोल प्ले, आदि का आयोजन।
- गृह आधारित ईसीसीई सेवाएं लेने वाले बच्चों के लिए अभिभावकों एवं बच्चों की सामूहिक गतिविधियों का आयोजन।
- अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी से खेल एवं शिक्षण सामग्री का विकास।
- स्थानीय दस्तकारों की सहायता से खेल सामग्री का विकास।

3. अर्द्धवार्षिकः— यह गतिविधियाँ प्रत्येक 6 माह में एक बार आयोजित की जानी है। जो निम्नप्रकार से हैः—

- आँगनबाड़ी के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए खेल दिवस का आयोजन।

- सभी बच्चों एवं अभिभावक/समुदाय की रोचक गतिविधियों जैसे— बाल मेला, दिवाली, स्थानीय त्यौहार, प्रदर्शनी, मेले आदि में भाँड़ीदारी सुनिश्चित करना।
- ऑंगनबाड़ी केन्द्रों की दीवारों पर बाल अभिरुचि वित्रांकन करवाना।

मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन हेतु पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन व्यवस्था के अन्तर्गत:—

- ईसीसीई दिवस की महत्ता को देखते हुए इसके आयोजन से संबंधित समीक्षा, राज्य, जिला, परियोजना एवं सेक्टर पर आयोजित होने वाली आईसीडीएस समीक्षा बैठक के साथ किया जाना है।
- ऑंगनबाड़ी केन्द्र पर विजिट करने वाले समस्त अधिकारियों/पर्यवेक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऑंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध मासिक ईसीसीई दिवस आयोजन संबंधी रिपोर्ट का अवलोकन करें एवं आंकलन पश्चात् उस पर सक्षम स्तर पर टिप्पणी प्रस्तुत करें।

मासिक ईसीसीई दिवस की रिपोर्टिंग के अन्तर्गत कार्यकर्ता निर्धारित प्रपत्र— ३ में ईसीसीई दिवस संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगी। यदि केन्द्र पर एनटीटी पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का पदस्थापन है तो उक्त रिपोर्ट पूर्व प्राथमिक शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है तथा प्रत्येक माह की रिपोर्ट का संधारण एक रिकार्ड फाइल के रूप में किया जाना है।

ईसीसीई दिवस हेतु मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत:—

- सेक्टर बैठक पर होने वाली मासिक बैठकों में ऑंगनबाड़ी केन्द्रवार चर्चा की जाएगी तथा उसमें आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जाएगा ताकि अगले ईसीसीई दिवस पर यह कठिनाइयां नहीं आए।
- मासिक बैठक में कार्यकर्ता ईसीसीई दिवस की सूचना भी निर्धारित प्रपत्र में लेकर आएगी, उसका संकलन किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी की भेजी जाए।
- ब्लॉक स्तर पर होने वाली मासिक बैठक में ईसीसीई दिवस की रिपोर्ट के आधार पर जो कठिनाई आई हो, उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सूचना को संकलित कर एक प्रति उपनिदेशक को भेजी जाए।
- जिला स्तर पर होने वाली बैठक में अवलोकन रिपोर्ट में अवलोकन रिपोर्ट का अवलोकन कर कठिनाइयों को दूर किया जाए। तथा सीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर एक प्रति निदेशालय को भेजी जाए।

मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में विभिन्न कार्मिकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होगे:—

### 1. ऑंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की भूमिका:—

- अपने क्षेत्र का माइक्रोप्लान बनाने में महिला पर्यवेक्षक की सहायता करेंगी।
- अगर ऑंगनबाड़ी भवन पर स्थान की उपलब्धता नहीं हो तो उचित स्थान का इंतजाम करना (पंचायत भवन को प्राथमिकता देते हुए)।

- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के स्थान तथा समय के संबंध में अग्रिम सूचना प्रदान करना।
  - 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
  - बच्चों का पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना।
  - मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
  - विषय आधारित कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा उनसे संबंधित गतिविधियां करवाना।
  - शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था कर उसका प्रदर्शन करना।
  - अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बनाकर उनको संतुष्ट करना।
  - बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षक के साथ सामंजस्य रखना।
  - रोल मॉडल (आँगनबाड़ी केन्द्र का शिशु) का प्रदर्शन कर अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
  - ममता कार्ड, आईपीसी टूल किट और अन्य सामग्री का उपयोग करना।
  - आयोजन से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना ताकि उचित संशोधन किया जा सके।
  - यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
  - आँगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना।
  - वृद्धजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
  - नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आमंत्रित करना ताकि आँगनबाड़ी केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारू पारगमन हो सके।
  - परियोजना में होने वाली बैस्ट प्रैक्टिस का अनुसरण करना।
  - रिकॉर्ड का संधारण करना।
2. पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी) की भूमिका:- यदि किसी आँगनबाड़ी केन्द्र पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी) का पदस्थापन है, तो निम्न कार्य पूर्व प्राथमिक शिक्षक द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर किए जाने हैं:-
- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के स्थान तथा समय के संबंध में अग्रिम सूचना प्रदान करना।
  - 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
  - मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
  - विषय आधारित कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा उनसे संबंधित गतिविधियां करवाना।
  - शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था कर उसका प्रदर्शन करना।
  - अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बनाकर उनको संतुष्ट करना।

- रोल मॉडल (आँगनबाड़ी केन्द्र का शिशु) का प्रदर्शन कर अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
  - ममता कार्ड, आईवीसी टूल किट और अन्य सामग्री का उपयोग करना।
  - आयोजन से संबंधित रिपार्ट तैयार करना ताकि उचित संशोधन किया जा सके।
  - यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
  - आँगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना।
  - वृद्धजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
  - नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आमन्त्रित करना ताकि आँगनबाड़ी केन्द्र से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारू पारगमन हो सके।
  - परियोजना में होने वाली बैस्ट प्रैक्टिस का अनुसरण करना।
  - रिपोर्ट तैयार करना तथा रिकार्ड का संधारण करना।
3. मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में महिला पर्यवेक्षकों की भूमिका –
- अपने केन्द्र के समस्त आँगनबाड़ी केन्द्रों के माइकोप्लान तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करना।
  - अपने क्षेत्र के समस्त ईसीसीई दिवस पर प्रत्येक माह उपस्थित होना तथा परियोजना कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  - आँगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - स्थानीय कलाकार, कारीगर तथा दृश्य – शृंखला माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - आँगनबाड़ी केन्द्र पर स्थान नहीं होने की स्थिति में अन्य स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में बाल विकास परियोजना अधिकारी की भूमिका –
- यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक बजट की राशि प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर उचित समय पर उपलब्ध हो।
  - आँगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - स्थानीय कलाकार / कारीगर तथा दृश्य – शृंखला माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - आँगनबाड़ी केन्द्र पर स्थान नहीं होने की स्थिति में अन्य स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
5. मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में उपनिदेशक की भूमिका –

- जिले के समस्त माइक्रोप्लान बनवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उनको आयोजन स्थल/आँगनबाड़ी केन्द्र पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करेंगे।
- माह में कम से कम एक दिवस भ्रमण कर क्षेत्र के कम से कम तीन ईसीसीई दिवसों का अवलोकन करेंगे।
- पंचायत समिति स्तरीय बैठकों में उपस्थित रहेंगे तथा कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
- जिले में ईसीसीई दिवस अपेक्षानुसार आयोजित हो उसका समस्त उत्तरदायित्व जिला उपनिदेशक का होगा।

अतः उपरोक्त नियमित मासिक ईसीसीई दिवस आयोजन संबंधी गाइडलाइन के अनुसार ऊपर इस संबंध में अपने जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, महिला पर्यवेक्षकों, आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा – सहयोगिनियों को उपरोक्त गतिविधियों के बारे में निर्देशित करें तथा इस सम्बन्ध में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों समय पर करवाया जाना सुनिश्चित करें।

हं

(एम.पी.स्वामी)

निदेशक,

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान, जयपुर

जयपुर दिनांक 3.12.13

फ्रॉमांक : F 26(4)/ECCE/ICDS/2012/148376-395

तिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुवासार कार्यवाही समय से पूर्व करना सुनिश्चित कराये।
2. समरत बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं।
3. एसीपी कम उपनिदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

हं

(महेश शर्मा)

स्थायक निदेशक (आईईसी)

समेकित बाल विकास सेवाएं

राजस्थान, जयपुर

## Relevant part of NCF 2005

### **5 Domains of Development**

Every child is a unique individual and has skills and abilities that can be further enhanced and developed. A good early childhood care and education programme respects the different pace of development of all children and ensures that the child develops physically, socially, emotionally, morally and intellectually to their full potential. Thus, the main aim of providing quality care and education during the early years is to enable the child to develop as a holistic individual and realise his/her potential to the fullest in all the areas of development. Development of the child is classified under six main areas of development. The curriculum must address the following interrelated domains of holistic development through an integrated and play based approach which focuses on development of life skills.

#### **5.1 Birth- Three Years**

##### **Sensory and Perceptual Development:**

- Development of the five senses through visual, auditory, olfactory and kinaesthetic experiences
- Learning to control and coordinate their reflexes
- Coordination of sensory perceptions and simple motor behaviours
- Display awareness of location and spatial relationship

##### **Physical, Health and Motor Development:**

- Developing coordination and control of large motor muscles
- Developing strength and coordination of small motor muscles
- Integrating the movements of many parts of their body
- Developing a sense of balance in movement
- Adequate nutrition and sound health status
- Begin to display personal hygiene skills

##### **Language Development:**

- Begin to develop active listening skills
- Use expressive and receptive communication skills
- Develop vocabulary and use language to engage in conversations.
- Develop verbal and non-verbal communication skills
- Display emergent literacy skills (preparing children to read and write): such as identify and differentiate sounds, phonological awareness, print awareness and concepts: recognition of letters; letter- sound correspondence, building words and sentences
- Display the use of prewriting skills (scribbling, marking, drawing, etc) for variety of purposes

#### **Cognitive Development:**

- Development of object permanence ( know that objects have substance, maintain their identities when they change location, and continue to exist when out of sight)
- Development of perceptual categorization based on how things look, feel, and taste
- Development of memory for objects, people and events
- Begin to develop vocabulary and skill related (comparing, classification, seriation; space, quantity, length, counting etc)
- Develop skills related to observing, reasoning and problem solving
- Explore the physical, social and natural environment by manipulating objects, asking questions, making predictions and developing generalization

#### **Development of Creative and Aesthetic Appreciation:**

- Begin to represent objects, events and ideas in the form of drawing, clay modelling and other art forms
- Develop expression, enjoyment and disposition for music and movement

#### **Personal, Social and Emotional Development:**

- Display awareness of their abilities, preferences and characteristics
- Development of self concept, self control, self help skills;
- Develop initiative and curiosity; independence and autonomy
- Display awareness of behaviour and its effects
- Display increased attention span, engagement and persistence in daily activities
- Emergence of pretend play and use of objects as representation
- Develop friendship with peers, show cooperation and participate in group activities
- Development of attachment, and emotional bonding with adults
- Develop empathy, learn to control feelings and express emotions in relevant manner

## 5.2 Three-Six Years

### Sensory and Perceptual Development:

- Demonstrate the use of different senses ( sight, hear, feel, taste, smell) to guide movements and recognize objects
- ~~Awareness of space and direction; distance; orientation.~~

### Cognitive Development:

- Development of various concepts including pre number and number concepts and operations (knowledge and skills related to comparing, classification, seriation; understanding of and vocabulary related to space, quantity, length and volume, one to one correspondence; counting etc).
- Predicting patterns and making estimations in measurement; data handling;
- Develop skills related to sequential thinking, critical thinking, observing, reasoning and problem solving;
- Explore the physical, social and natural environment by manipulating objects, asking questions, making predictions and developing generalizations.
- Differentiate between events that happen in past, present and the future
- Develop knowledge of relationship between people, places and regions

### Language:

### Development of Creative and Aesthetic Appreciation:

- Representing objects, events and ideas in the form of drawing, clay modelling and other art forms
- Develop expression, enjoyment and disposition for music and movement
- Demonstrate creativity and inventiveness with materials
- Develop vocabulary and use language for a variety of purposes.
- Display emergent literacy skill and love for reading (preparing children to read and write) such as identify and differentiate sounds, phonological awareness; print awareness and

### Personal, Social and Emotional Development:

- Development of self concept; self control; life skills/ self help skills;
- Develop initiative and curiosity in new experiences and learning
- Developing a sense of independence and autonomy
- Display awareness of abilities and preferences. appreciates similarities and differences in people and awareness of behaviour and its actions
- Displays relevant and appropriate habit formation, increased attention span, engagement and persistence in daily activities
- Develop interpersonal skills with respect to peers, family, teachers and community
- Display, behaviours of cooperation; compassion; social relationships; group interaction; pro- social behavior, expressing feelings, accepting others feelings
- Develop the ability to adapt and control emotions

### समोकेत बाल विकास सेवा कार्यक्रम (ICDS)

‘‘इन्दीय बाल नीति’’ – 1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चों एवं महिलाओं निशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समोकेत बाल विकास सेवा कार्यक्रम की प्रथम बाल विकास परियोजना बासवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में 2 अक्टूबर 1975 को प्रारम्भ की गई। नितीय वर्ष 2008–09 तक यह शात-प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना रही। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रकार का शासनिक व्यवहार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा। वर्ष 2009–10 से इस योजना के शासनिक व्यवहार के लिए भारत सरकार सम्पत्ति द्वारा 90 प्रतिशत राशि तथा शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण निम्नलिखितानुसार है :-

1. 0–6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
  2. बच्चों के उचित भनोवेज्ञानिक शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
  3. बाल मृत्यु रुग्णता, कुपोषण तथा बीच में पदाई छोड़ने वाले बच्चों को दर में कमी लाना।
  4. बाल विकास को प्रोत्साहन के लिए सम्बन्धित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
  5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं की निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं –
- | क्र.सं | सेवा                      | लाभार्थी  |
|--------|---------------------------|---|
| 1      | पूरक पोषणहार              | 5 माह 6 वर्ष के बच्चे गर्भवती – धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं। |
| 2      | शाला पूर्व शिक्षा         | 3–6 वर्ष के बच्चे   |
| 3      | पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा | 15–45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं                           |
| 4      | प्रतिष्क्षण (टीकाकरण)     | 0–6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं                               |
| 5      | स्वास्थ्य जांच            | 0–6 वर्ष के बच्चे गर्भवती – धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं      |
| 6      | सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएं    | 0–6 वर्ष के बच्चे गर्भवती तथा धात्री महिलाएं                        |

उपरोक्त 6 में से 3 (कम संख्या 4 से 6 तक) सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है।

መ/ቤት

መ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት	በ መ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት	የ መ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት	የ መ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት	የ መ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት / ክ/ቤት								

በ/ቤት አ/ቤት

በ/ቤት ዘ/ቤት

በ/ቤት ስ/ቤት

በ/ቤት የ/ቤት

ክ/ቤት ተ/ቤት ተ/ቤት ተ/ቤት ተ/ቤት

603

.....በታች በቅርቡ ከዚህ

.....  
.....

Table 19-22B

ଏହି ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ମିଳିବାରେ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼



राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक :—प17(11)शिक्षा-1 / 2015

जयपुर, दिनांक 8/8/16

01. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
02. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रथम/द्वितीय, माध्यमिक शिक्षा, समस्त जिले।
04. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।
05. प्रधानाचार्य, समस्त राउमावि/राबाउमावि/रामावि
06. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।

**विषय:**—ऑगनबाडी केन्द्रों पर संचालित पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी संचालन हेतु स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत संचालित समन्वित राउमावि/मावि द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिशा निर्देश।

राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक-बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित माध्यमिक विद्यालय/उमावि स्थापित किये गये हैं। इन विद्यालयों के माध्यम से उनके आसपास स्थित ऑगनबाडी केन्द्र में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से संलग्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। इन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

शासन सचिव  
महिला एवं बाल विकास विभाग

शासन सचिव  
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

## राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित विद्यालय (जहाँ कक्षा 1 से 5 संचालित हैं) के पर्यवेक्षण में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रभावी पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के संचालन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संयुक्त रूप से जारी दिशा निर्देश

राज्य सरकार उच्चों एवं महिलाओं के समेकित एवं समग्र विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार) एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आयु वर्ग का मानक 3 से 6 वर्ष है। (अनुलग्नक-1 एन.सी.एफ 2005) राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत 3 से 6 साल के बालक-बालिकाओं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10/12 के समन्वित माध्यमिक विद्यालय/उमावि स्थापित किये गये हैं। इन विद्यालयों के माध्यम से उनके आसपास स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र में प्रदान की जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं। इन दिशा-निर्देशों की कियान्विति से निम्नलिखित लाभ होंगे :-

- i) समन्वित विद्यालयों के संस्थाप्रधानों/शिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण से लगभग 13000 आँगनबाड़ी केन्द्रों के प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) कार्यक्रम के तहत प्रभावी रूप से पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
- ii) आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के बालक-बालिकाओं का 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा 1 में आसानी से नामांकन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- iii) गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित होने से प्राथमिक कक्षाओं के सुदृढ़ीकरण के स्तर में वृद्धि होगी।
- iv) इन आँगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

यह दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले समस्त समन्वित राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में (जहाँ कक्षा 1 से 5 संचालित है) एवं उनसे संबद्ध आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लागू होगे।

(P)

1

## 1. भवन सम्बन्धी (Infrastructure)

- 1.1 ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें पूर्व में ही विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं उसे यथावत संचालित करते हुए, पूर्ण रूप से विद्यालय की संचालन प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय आईसीडीएस द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप होगा।
- 1.2 जिन विद्यालय परिसरों में अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है उन विद्यालयों में यथा सम्भव निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र को विद्यालय भवन में स्थानान्तरित किया जायेगा। प्रथम चरण में केवल वे ही आंगनबाड़ी केन्द्र स्थानान्तरित किए जायेंगे, जिनका कवरेज क्षेत्र विद्यालय भवन से अधिकतम 500 मीटर की दूरी पर हैं एवं भवन विहीन हैं।
- 1.3 उपरोक्त स्थिति के अनुसार यदि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में पृथक कक्ष उपलब्ध नहीं है, परंतु एक कक्ष निर्माण का स्थान है तो सांसद क्षेत्रीय विकास कोष, विधायक विकास कोष, भारतीय एवं दानदाताओं के सहयोग से कक्ष का निर्माण बाल मित्र कक्ष की तर्ज पर किया जा सकता है।
- 1.4 विद्यालय में अतिरिक्त कक्ष / पर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने पर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र को उसी स्थान पर संचालित रखते हुए विद्यालय की संचालन प्रक्रिया से समन्वित किया जायेगा किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय आईसीडीएस द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुरूप होगा।
- 1.5 यदि विद्यालयों के समन्वयन की प्रक्रिया में ऐसे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय जो निकटतम माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में समायोजित कर दिए गए हैं, में यदि आंगनबाड़ी केंद्र उसी परिसर में ही संचालित था तो वह आंगनबाड़ी केंद्र स्वाभाविक रूप से माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में स्थानान्तरित किया जायेगा किन्तु आंगनबाड़ी केन्द्र का कवरेज क्षेत्र 500 मीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए।
- 1.6 विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी कक्ष के आस-पास ही बच्चों के खेलने के लिए स्थान का निर्धारण किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी विद्यालय प्रधानाचार्य की होगी। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों के लिए खेलने का स्थान तथा विद्यालय की अन्य कक्षाओं के बच्चों के खेलने के लिए स्थान यथा सम्भव पृथक-पृथक होगा।
- 1.7 कक्षा 1 व 2 के बच्चे भी आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खेलने के निर्धारित स्थान पर खेल सकते हैं परंतु ऐसी स्थिति में कक्षा 1 व 2 को पढ़ाने वाले किसी एक शिक्षक/शिक्षिका को बच्चों के साथ उस स्थान पर रहना आवश्यक होगा।

### **3. एन टी टी शिक्षकों के संबंध में (NTT Teachers)**

- 3.1 राजस्थान के कर्तिपय क्षेत्रों में एन टी टी शिक्षक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर नियुक्त किए गए हैं। उक्त शिक्षकों पर पूर्ण नियंत्रण आईसीडीएस का होगा।
- 3.2 यदि विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी में एन टी टी शिक्षक कार्यरत है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में पूरे समय एन टी टी शिक्षक ही आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन करेंगे। नर्सरी शिक्षक (एनटीटी) की उपस्थिति का प्रमाणन प्रधानाध्यापक से भी कराया जायेगा। तदनुसार CDPO द्वारा वेतन का आहरण किया जावेगा। शेष नियंत्रण विभागीय अधिकारियों का रहेगा।

### **4. विद्यालयों से संबद्ध आंगनबाड़ी केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं संबलन (Supervision & Support)**

- 4.1 विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की एक समन्वित प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- 4.2 आंगनबाड़ी का समय पूर्व निर्धारित समयानुसार ही रहेगा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का उपस्थिति रजिस्टर प्रधानाचार्य कक्ष में रखा जाएगा। प्रत्येक दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने से पूर्व उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की उपस्थिति को रजिस्टर में प्रमाणित करेंगे।
- 4.3 विद्यालय में प्रारम्भिक कक्षाओं को पढाने वाले (प्राथमिकता से महिला शिक्षक) आंगनबाड़ी केन्द्र में अकादमिक मेंटर की भूमिका निभाएंगे। प्राचार्य किसी एक महिला शिक्षक को प्रभारी अधिकारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा नियुक्त करेंगे एवं नियुक्ति आदेश की प्रति संबंधित उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- 4.4 विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अवकाश पर रहने अथवा अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रभारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित महिला पर्यवेक्षक एवं प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे एवं वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कक्षा 7 की बालिकाओं के सहयोग से बच्चों के साथ खेल गतिविधियों का संचालन करेंगे।
- 4.5 विद्यालय के समर्त शिक्षकों की प्रशासनिक एवं शैक्षिक समीक्षा बैठक के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानाचार्य के द्वारा की जाती है।

७

✓

- 4.6 समेकित बाल विकास सेवाएँ के तहत प्रति माह प्रारम्भिक बाल्यावस्था एवं देखभाल दिवस (ई सी सी ई डे) मनाया जाना जाता है। (अनुलग्नक-2 ई.सी.सी.ई. दिवस आदेश)
- 4.7 विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों में ई सी सी ई दिवस की कार्ययोजना प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में प्रभारी पूर्व प्राथमिक शिक्षा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आँगनबाड़ी सहायिका द्वारा बनाई जाएगी। ई.सी.सी.ई दिवस के आयोजन में कक्षा 7 की बालिकाओं को भी समिलित किया जाएगा।
- 4.8 ई सी सी ई दिवस की कार्ययोजना विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की समन्वित बैठक में साझा की जाएगी एवं समिति से अपेक्षा की जाएगी, कि ई सी सी ई दिवस पर अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ने में मदद करे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ई सी सी ई दिवस पर आने के लिए सूचित एवं प्रेरित करें। ई सी सी ई दिवस का आयोजन करने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता समेकित बाल विकास सेवाएँ के प्रावधान के अनुसार की जायेगी।
- 4.9 आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले पोषाहार की गुणवत्ता के परीक्षण का कार्य विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि आंगनबाड़ी की समयसारिणी के अनुसार बच्चों को समय पर एवं तय मापदण्डानुसार भोजन उपलब्ध हो।
- 4.10 प्रत्येक माह प्रधानाचार्य आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों की प्रगति और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे। प्रत्येक तीन माह में एक बार प्रधानाचार्य आंगनबाड़ी केंद्र की समग्र कार्ययोजना बनाएंगे एवं समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक का एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें बैठक का संक्षिप्त कार्यविवरण लिखा जाएगा तथा सभी उपस्थित संभागी हस्ताक्षर करेंगे।
- 4.11 समेकित बाल विकास रोवाएँ के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुरूप आंगनबाड़ी केंद्र का पर्यवेक्षण किया जाता है। विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्र के पर्यवेक्षण के पश्चात् महिला पर्यवेक्षक निर्धारित प्रारूप में दर्ज करके हस्ताक्षर प्रति ही अपने विभाग में संबंधित सी डी पी ओ कार्यालय के साथ-साथ प्रधानाचार्य को भी प्रस्तुत करेंगी।
- 4.12 सी डी पी ओ प्रति माह महिला पर्यवेक्षक द्वारा दी गई पर्यवेक्षण रिपोर्ट्स के आधार पर विद्यालयों से संबद्ध आंगनबाड़ियों के पर्यवेक्षण की समेकित रिपोर्ट उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

- 4.13 राज्य सरकार द्वारा पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था जिसके तहत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाचार्य द्वारा परिसर में स्थित अथवा संबद्ध आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया जाना था। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य तय प्रारूप में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन की समीक्षा रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- 4.14 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा प्रति माह तय प्रारूप के अंतर्गत विद्यालयों से आंगनबाड़ी के संचालन की प्रस्तुत रिपोर्ट्स को समेकित कर प्रत्येक तीन माह में उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
- 4.15 उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा प्रत्येक तीन माह में एक बार आदर्श विद्यालयों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की समीक्षा करेंगे एवं समीक्षा प्रतिवेदन जिला स्तरीय समिति में प्रस्तुत करेंगे।
- 4.16 ब्लॉक स्तर पर एस डी एम की अध्यक्षता में सी डी पी ओ एवं संबंधित संस्थाप्रधान की उपस्थिति में प्रति तीन माह में एक बार कार्य की समीक्षा की जाएगी।
- 4.17 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विद्यालय से संबंधित पूर्व में ही गठित निष्पादक समिति में छह माह में एक बार उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा सयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तथा कार्य की समीक्षा की जाएगी। इस समिति के ऐजेण्डा में ई सी ई की समीक्षा को शामिल किया जाएगा। एक समन्वित प्रतिवेदन निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाएगा।
- 4.18 निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रत्येक छह माह में एक समेकित रिपोर्ट सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रस्तुत करेंगे।
- 4.19 राज्य स्तर पर सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग की सदस्यता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति प्रत्येक छह माह में एक बार बैठक कर समन्वित कार्यक्रम की समीक्षा कर संबंधित विभाग में मंत्रीमहोदय/महोदया को नीतिगत निर्णयों हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

## 5. अभिलेख संधारण (Record Keeping)

- 5.1 सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का समस्त डाटा शाला दर्पण के तहत एकत्रित किया जा रहा है। विद्यालय में समायोजित/स्थानान्तरित आंगनबाड़ी केन्द्र का डाटा समेकित बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित राजपोषण पोर्टल एवं आरआरएस-एमआईएस से शाला दर्पण में संबंधित विद्यालय के डाटा के साथ साझा किया जाएगा।

(1)

✓

**6. विद्यालय से संबद्ध आंगनबाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास सेवाएँ के तहत प्रदान की जा रही अन्य सेवाएँ (Other ICDS Services)**

- 6.1 समेकित बाल विकास सेवाएँ के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त अन्य पांच सेवाएँ भी संचालित की जाती है। (अनुलग्नक-3 आंगनबाड़ी केन्द्र पर संचालित सेवाओं सम्बन्धी निर्देश)
- 6.2 आंगनबाड़ी केंद्रों पर समेकित बाल विकास सेवाएँ के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त संचालित अन्य सेवाएँ यथावत संचालित की जाएगी।
- 6.3 समेकित बाल विकास सेवाएँ की अन्य सेवाओं पर प्रधानाचार्य का एक दिवसीय वार्षिक आमुखीकरण बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के तत्वाधान में किया जाएगा।
- 6.4 पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त आदर्श विद्यालयों से संबद्ध आंगनबाड़ी पर संचालित अन्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं नियमितता के संदर्भ में विद्यालय की भूमिका सहयोगी के रूप में होगी।
- 6.5 विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में अन्य सेवाओं पर अध्यक्ष की अनुमति से ही चर्चा की जा सकेगी।
- 6.6 अन्य सेवाओं से संबद्ध समस्त रिकॉर्ड संधारण की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला पर्यवेक्षक की होगी।
- 6.7 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श स्कूल में स्थानान्तरित करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रदत्त की जा रही सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े।
- 6.8 यह भी ध्यान रखा जाये कि सम्बन्धित आईसीडीएस सेवाएँ जो उस आंगनबाड़ी के द्वारा दी जा रही है, उस कवरेज एरिया का लाभान्वित वर्ग लाभ से वंचित न रहे तथा एस.सी./एस.टी./पिछडे वर्ग/अल्पसंख्यक इत्यादि के कवरेज का विशेष ध्यान रखा जाये।
- 6.9 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श स्कूल में स्थानान्तरित करते समय भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी संचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देश की पालना भी सुनिश्चित की जाये।

(१)

## Relevant part of NCF 2005

### 5. Domains of Development

Every child is a unique individual and has skills and abilities that can be further enhanced and developed. A good early childhood care and education programme respects the different pace of development of all children and ensures that the child develops physically, socially, emotionally, morally and intellectually to their full potential. Thus, the main aim of providing quality care and education during the early years is to enable the child to develop as a holistic individual and realise his/her potential to the fullest in all the areas of development. Development of the child is classified under six main areas of development. The curriculum must address the following interrelated domains of holistic development through an integrated and play based approach which focuses on development of life skills.

#### 5.1 Birth- Three Years

##### Sensory and Perceptual Development:

- Development of the five senses through visual, auditory, olfactory and kinaesthetic experiences
- Learning to control and coordinate their reflexes
- Coordination of sensory perceptions and simple motor behaviours
- Display awareness of location and spatial relationship

##### Physical, Health and Motor Development:

- Developing coordination and control of large motor muscles
- Developing strength and coordination of small motor muscles
- Integrating the movements of many parts of their body
- Developing a sense of balance in movement
- Adequate nutrition and sound health status
- Begin to display personal hygiene skills
- Recognise the importance of safety rules

##### Language Development:

- Begin to develop active listening skills
- Use expressive and receptive communication skills
- Develop vocabulary and use language to engage in conversations.
- Develop verbal and non-verbal communication skills
- Display emergent literacy skills (preparing children to read and write) such as identify and differentiate sounds; phonological awareness; print awareness and concepts; recognition of letters; letter-sound correspondence; building words and sentences.
- Display the use of prewriting skills (scribbling, marking, drawing, etc) for variety of purposes

**Cognitive Development:**

- Development of object permanence ( know that objects have substance, maintain their identities when they change location, and continue to exist when out of sight)
- Development of perceptual categorization based on how things look, feel, and taste
- Development of memory for objects, people and events
- Begin to develop vocabulary and skill related (comparing, classification, seriation; space, quantity, length, counting etc)
- Develop skills related to observing, reasoning and problem solving
- Explore the physical, social and natural environment by manipulating objects, asking questions, making predictions and developing generalization

**Development of Creative and Aesthetic Appreciation:**

- Begin to represent objects, events and ideas in the form of drawing, clay modelling and other art forms
- Develop expression, enjoyment and disposition for music and movement

**Personal, Social and Emotional Development:**

- Display awareness of their abilities, preferences and characteristics
- Development of self concept, self control, self help skills
- Develop initiative and curiosity, independence and autonomy
- Display awareness of behaviour and its effects
- Display increased attention span, engagement and persistence in daily activities
- Emergence of pretend play and use of objects as representation
- Develop friendship with peers, show cooperation and participate in group activities
- Development of attachment, and emotional bonding with adults
- Develop empathy, learn to control feelings and express emotions in relevant manner

## **5.2 Three- Six Years**

### **Sensory and Perceptual Development:**

- Demonstrate the use of different senses ( sight, hear, feel, taste, smell) to guide movements and recognize objects
- Awareness of space and direction, distance, quantity etc.

### **Physical Health and Motor Development:**

- Developing coordination and control of large motor muscles
- Developing strength and coordination of small motor muscles
- Demonstrate the use of body with proper sense of space and direction
- Coordination of fine muscles with dexterity; eye hand coordination
- Developing sense of balance, physical co-ordination
- Recognize different food and demonstrate healthy dietary habits
- **Display healthy habits, personal care and hygiene.** Display ability to follow safety rules, make choices and avoid danger

### **Language Development**

- Develop Listening and Comprehension skills
- Use expressive and receptive communication skills
- Develop effective verbal and non-verbal communication skills.
- Develop vocabulary and use language for a variety of purposes.
- Display emergent literacy skills and love for reading (preparing children to read and write) such as identify and differentiate sounds; phonological awareness; print awareness and concepts; recognition of letters; letter- sound correspondence; segmentation; building words and sentences and early writing
- Demonstrate interest and ability in writing
- Develop competency in home language while acquiring beginning proficiency in language of school transaction and/ or English, if needed.

### **Cognitive Development**

- **Development of various concepts including pre-number and number concepts and operations** (knowledge and skills related to comparing, classification, seriation; understanding of and vocabulary related to space, quantity, length and volume, one to one correspondence; counting etc),
- Predicting patterns and making estimations in measurement, data handling.
- Develop skills related to sequential thinking, critical thinking, observing, reasoning and problem solving.
- Explore the physical, social and natural environment by manipulating objects, asking questions, making predictions and developing generalizations.
- Differentiate between events that happen in past, present and the future
- Develop knowledge of relationship between people, places and regions

### **Development of Creative and Aesthetic Appreciation:**

- Representing objects, events and ideas in the form of drawing, clay modelling and other art forms.
- Develop expression, enjoyment and disposition for music and movement
- Demonstrate creativity and inventiveness with materials

### **Personal, Social and Emotional Development**

- **Development of self concept; self control; life skills/ self help skills.**
- **Develop initiative and curiosity in new experiences and learning**
- Developing a sense of independence and autonomy
- Display awareness of abilities and preferences, appreciates similarities and differences in people and awareness of behaviour and its actions
- Displays relevant and appropriate habit formation increased attention span, engagement and persistence in daily activities
- Develop interpersonal skills with respect to peers, family, teachers and community
- **Display behaviours of cooperation**, compassion, social relationships; group interaction, pro-social behaviour, expressing feelings, accepting others feelings
- **Develop the ability to adapt and control emotions**,

## राजस्थान सरकार

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक : F-26(4)/ECCE/ICDS/2012/ १५८३७६-३९५

जयपुर दिनांक ३.१२.१३

उप निदेशक,  
 महिला एवं बाल विकास विभाग,  
 अजमेर, अलवर, बांस, बांगलेर, बीकानेर,  
 चित्तौड़गढ़, छूल, दौसा, घौलपुर, झंगरपुर,  
 जयपुर, झुन्ड्हबू, जोधपुर, करौली, कोटा,  
 राजसमन्व, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोक एवं उदयपुर

विषय:- मासिक ईसीसीई दिवस मनाये जाने के दिशा-निर्देशों के संबंध में

उपरोक्त विषयाल्पतरि लेख है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मासिक ईसीसीई दिवस मनाया जाना है, जो कि बच्चों की परिचर्या एवं शिक्षा हेतु जागरूकता लाने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। इसके अन्तर्गत गांवों में दरिष्ट नागरिकों, स्थानीय दस्तकारों, बच्चों के परिवार के वरिष्ठजन इत्यादि की सहभागिता से प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर उक्त दिवस को मनाया जाना है और बच्चों की परिचर्या एवं शाला पूर्व शिक्षा हेतु जानकारी का प्रसारण समुदाय में करना है। इस प्रकार ईसीसीई दिवस द्वारा समुदाय एवं अभिभावकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ बच्चों के विकास, वृद्धि एवं अर्जन की प्रवृत्ति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

नियमित रूप से आयोजित की जाने वाले मासिक ईसीसीई दिवस के फलस्वरूप निम्न परिणामों की अपेक्षा की जाती है:-

- समुदाय में ईसीसीई के प्रति जागरूकता उत्पन्न होना।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर बालिकाओं सहित सभी बच्चों का नामांकन होना।
- ६ वर्ष से कम आयु के बच्चों की खेल-कूद गतिविधियों हेतु स्थानीय सामग्री एवं सर्ती सामग्री की उपलब्धता के द्वारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- ईसीसीई को बच्चों के लिए उपयोगी बनाने की दिशा में अभिभावकों की भूमिका पर ज्यादा जोर देना।
- अभिभावकों को बच्चों के मूल्यांकन के पश्चात् बच्चों की प्रगति के बारे में सूचित करना।
- किसायती तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री से शाला पूर्व शिक्षण सामग्री तैयार करने में स्थानीय कारीगर आदि की भूमिका के बारे में समुदाय को जागरूक करना।

ईसीसीई दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह के किसी एक गुलावार अवधि सोमवार को आयोजित किया जाना है (जिस दिन मातृ शिशु स्थानीय एवं पोषण दिवस नहीं मनाया जाता हो)। इस हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अपनी परियोजना की समर्पण आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए विस्तृत कलेन्हर जारी किया जायेगा।

ईसीसीई दिवस आयोजन के लिए बच्चों के खेलने हेतु स्थानीय सामग्री से तैयार खिलौने/शिक्षण सामग्री, शाला पूर्व शिक्षा किट, बच्चों से संवंधित अन्य सामग्री का उपयोग किया जाना है।

ईसीसीई दिवस में निम्न संरथाओं एवं व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी है :-

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
- आंगनबाड़ी सहायिका
- आशा-सहयोगिनी
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी)(आंगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यरत होने की विधि में।)
- पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य।
- समुदायिक संगठनों के सदस्य।
- ईसीसीई क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
- प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक
- वृद्धजन तथा दादा-दादी/नाना-नानी
- स्थानीय कारीगर एवं कलाकार
- समुदाय के प्रतिनिधि
- महिला मंडल के सदस्य
- यूथ ब्लॉक एवं बेहूल युवा केन्द्र कार्यालय के सदस्य
- सबला एवं किशोरी शक्ति योजना की सखी/सहेली

उपनिदेशक, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा संबंधित महिला पर्यवेक्षक केन्द्र का अवलोकन करेंगे तथा आवश्यकतानुसार सम्बल प्रदान करेंगे।

ईसीसीई दिवस आयोजन से पूर्व निम्न प्रकार से तैयारी सुनिश्चित की जानी है :-

- **जिला स्तर पर कार्यशाला:-** जिला स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन संबंधित जिला उपनिदेशक की अध्यक्षता में किया जाये, जिसमें जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी भाग ले और उन्हें ईसीसीई दिवस के आयोजन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में बतायें।
- **परियोजना/ब्लॉक स्तर पर कार्यशाला :-** परियोजना/ब्लॉक रतर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जाये, जिसमें परियोजना की समस्त महिला पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया जाये इस बैठक में निम्नलिखित बातों के विषय में समझाया जाए :-

  - समुदाय से जुड़ाव एवं माझीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।
  - आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में।
  - स्थानीय कलाकार/कारीगर तथा दृश्य-शृंख्य माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - स्थानीय जन-प्रतिनिधियों से राहयोग/ माझीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में।
  - दूरदर्शन, आकाशगाणी, एफएम, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।

- **माईक्रोप्लान को अद्यतन करना:-** माईक्रोप्लान को अद्यतन किया जाए, जिसमें परियोजना के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को सम्मिलित किया जाए। माईक्रोप्लान प्रपत्र 1 व प्रपत्र 1-A में बनावें। यह कार्य 30.11.2013 तक सम्पन्न हो जाना चाहिए।

मासिक ईसीसीई दिवस आयोजन के एक दिन पूर्व की जाने वाली व्यवस्थाओं की चेक लिस्ट निम्न प्रकार से होगी :-

- अगर आंगनबाड़ी भवन पर स्थान की उपलब्धता नहीं हो तो उचित स्थान का इंतजाम करना (प्राथमिक विद्यालय/पंचायत भवन को प्राथमिकता देते हुए)।
- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के रथान तथा समय के संबंध में अग्रिम सूचना व प्रचार-प्रसार।
- 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
- पूरक पोषाहार की व्यवस्था।
- मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
- विषय आधारित कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना।
- अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बनाकर उनको संतुष्ट करना।
- नमता कार्ड, आईपीसी ट्रूल किट और अन्य सामग्री की व्यवस्था करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
- आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना।
- दृष्टजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
- नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आमंत्रित करवा ताकि आंगनबाड़ी केंद्र से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारू पारगमन हो सके।
- परियोजना में होने वाली बेस्ट प्रैटिक्स का अनुसरण करना।

मासिक ईसीसीई दिवस पर चर्चा के मुख्य बिन्दु के अन्तर्गत समुदाय एवं अभिभावकों के क्षमतावर्धन हेतु आमुखीकरण सत्र एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए ख्यांकिं शिशु की पूर्व शिक्षा अवस्था की मुख्य परिचर्या करने वाले यही लोग हैं। नियत मासिक ईसीसीई दिवस पर चर्चा हेतु निम्न में से किसी भी विषय का चुनाव किया जा सकता है :-

- पूर्व वाल्यवरण देखभाल का महत्व
- अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा एवं ईसीसीई का महत्व
- शिशु के शुरुआती सालों में वृद्धि एवं विकास का महत्व, विकास के बाधक, तथा शारीरिक विकार के चिह्न
- शुरुआती प्रेरण (stimulation)
- घर पर देखभाल
- खेलकूद का महत्व
- अच्छी आटों का निर्माण
- ईसीसीई में समुदाय एवं अभिभावकों की भूमिका।
- बच्चों को शाला पूर्व तैयारी

- माताओं तथा युवतियों की भागीदारी से आंगनबाड़ी केन्द्र के विभिन्न कार्यों को करने हेतु एक तंत्र का निर्माण करना। (जैसे- खाना बनाना एवं वितरित करना, बाहरी खेल-कूद की गतिविधियों का आयोजन करना आदि)
- मातृ समितियों तथा अभिभावकों की समितियों के माध्यम से बच्चों को गायन, भावगीत, कहानियाँ आदि की तैयारी करवाना।
- अन्य मुद्दे जो कि समुदाय की आवश्यकतानुसार चिन्हित किये जा सके।

मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में पंचायती राज संस्थाओं/नगर निकायों की भूमिका निम्न प्रकार से सुनिश्चित की जाती है:-

- यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक संगठनों के सदस्यों ईसीसीई दिवस के सत्रों हेतु उपलब्ध हो।
- स्वच्छ पीने का जल, उचित साफ-सफाई तथा अन्य चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि ईसीसीई दिवस का सुचारा रूप से आयोजन हो सके।

ईसीसीई दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के अन्तर्गत मुख्यतया: 3 प्रकार की सार्वाधिक गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं, जो विभन्नानुसार हैं:-

- मासिक
- द्विमासिक
- अर्द्धवार्षिक

उक्त गतिविधियों का विस्तृत विवरण निम्नप्रकार से है:-

1. **मासिक** :- इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निम्न 9 गतिविधियों निर्धारित की गई हैं:-

- बच्चों द्वारा दैनिक गतिविधियों के दौरान किए गए कार्यों का प्रदर्शन (जैसे- कला एवं क्राफ्ट का कार्य, मॉडल, वर्कशीट आदि)
- बच्चों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय के समक्ष गतिविधियों का प्रदर्शन एवं उन गतिविधियों के आयोजन का औचित्य बताना।
- अभिभावक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में पारस्परिक यिगार-यिमर्श एवं बच्चों के कार्यों का आदान-प्रदान तथा उसकी प्रतिपुष्टि (फोटोकेप)
- ईसीसीई से संबंधित दृश्य-श्रव्य रामगी, चाट आदि का प्रदर्शन
- ईसीसीई दिवस हेतु तैयार की गई सूची जिसमें अभिभावकों से चर्चा हेतु मुद्दे निर्धारित किए गए हो, उनमें से किसी एक पर चर्चा का आयोजन करना।
- बच्चों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को प्रोत्साहन राशि, पुरुलकार आदि प्रदान करने हेतु समुदाय की भागीदारी युनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक कौना निर्धारित करना जहां पर अभिभावक/समुदाय खिलौने, किताबें, कटपूतली और अन्य खोलने एवं सीखने की रामगी दान कर सके तथा उसका टॉय बैंक/ गतिविधि बैंक / बुक बैंक के रूप में उपयोग करवा।

- स्थानीय सांरकृतिक कहानियां, कविताएं, गाने, खेल, चित्रकला एवं अन्य गतिविधियों का संकलन कर गतिविधि बैंक के रूप में उपयोग करना।
- आंगनबाड़ी सेन्टर पर एक गतिविधि कोना बनाकर वहां पर बच्चों से ब्लॉक का खेल, कला एवं क्राफ्ट, भाषा प्रकृति एवं विज्ञान संबंधी गतिविधियां करवाना।

**2. द्विमासिक :-** यह गतिविधियाँ प्रत्येक 2 माह में एक बार आयोजित की जानी हैं। जो निम्नप्रकार से है:-

- आंगनबाड़ी के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए बृत्य, नाटक, कविता पठन, रोल प्ले, आदि का आयोजन।
- गृह आधारित ईर्षीरीई सेवाएं लेने वाले बच्चों के लिए अभिभावकों एवं बच्चों की सामूहिक गतिविधियों का आयोजन।
- अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी से खेल एवं शिक्षण सामग्री का विकास।
- स्थानीय दस्तकारों की सहायता से खेल सामग्री का विकास।

**3. अर्द्धवार्षिक :-** यह गतिविधियाँ प्रत्येक 6 माह में एक बार आयोजित की जानी हैं। जो निम्नप्रकार से है:-

- आंगनबाड़ी के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए खेल दिवस का आयोजन।
- सभी बच्चों एवं अभिभावक/समुदाय की रोचक गतिविधियों जैसे- बाल मेला, दिवाली, स्थानीय त्योहार, प्रदर्शनी, मेले आदि में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों की दोगांशों पर बाल अभिमुखि चित्रांकन करवाना।

मासिक ईर्षीरीई दिवस के आयोजन हेतु पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन व्यवस्था के अन्तर्गत -

- ईर्षीरीई दिवस की महत्ता को मध्यबंजर रखते हुए इसके आयोजन से संबंधित समीक्षा, राज्य, जिला, परियोजना एवं सेक्टर पर आयोजित होने वाली आईरीडीएस समीक्षा बैटक के साथ किया जाना है।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर विजिट करने वाले समस्त अधिकारियों/पर्यवेक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध मासिक ईर्षीरीई दिवस आयोजन रांगड़ी रिपोर्ट का अवलोकन करें एवं आंकलन पश्चात् उस पर सक्षम रूप से उत्तर पर टिप्पणी प्रस्तुत करें।

मासिक ईर्षीरीई दिवस की रिपोर्टिंग के अन्तर्गत कार्यकर्ता निर्धारित प्रपत्र-3 में ईर्षीरीई दिवस रांगड़ी गतिविधियों की रिपोर्ट तैयार करेगी। यदि केन्द्र गर एनटीटी पूर्व प्राधिक शिक्षक का पदशायापन है तो उक्त रिपोर्ट पूर्व प्राधिक शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है तथा प्रत्येक माह की रिपोर्ट का संधारण एक रिकार्ड फाईल के रूप में किया जाना है।

ईसीसीई दिवस हेतु मासिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाना है, जिसके अन्तर्गत :-

- सेक्टर बैठक पर होने वाली मासिक बैठकों में आंगनबाड़ी केन्द्रवार चर्चा की जाएगी तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों का समाधान किया जाएगा ताकि अगले ईसीसीई दिवस पर यह कठिनाईयां नहीं आए।
- मासिक बैठक में कार्यकर्ता ईसीसीई दिवस की सूचना भी निर्धारित प्रपत्र में लेकर आएगी, उसको संकलन किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना अधिकारी को भेजी जाए।
- ब्लॉक स्तर पर होने वाली मासिक बैठक में ईसीसीई दिवस की रिपोर्ट के आधार पर जो कठिनाई आई हो, उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा तथा सूचना को संकलित कर एक प्रति उपग्रेडेशक को भेजी जाए।
- जिला स्तर पर होने वाली बैठक में अवलोकन रिपोर्ट का अवलोकन कर कठिनाईयों को दूर किया जाए। तथा सीडीपीओ कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र में संकलित कर एक प्रति निदेशालय को भेजी जाए।

मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में विभिन्न कार्मिकों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :-

#### 1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की भूमिका :-

- अपने क्षेत्र का माइक्रोप्लान बनाने में महिला पर्यवेक्षक की सहायता करेंगी।
- अगर आंगनबाड़ी भवन पर स्थान की उपलब्धता नहीं हो तो उचित स्थान का इंतजाम करना (पंचायत भवन को प्राथमिकता देते हुए)।
- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के स्थान तथा समय के संबंध में अग्रिम सूचना प्रदान करना।
- 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
- बच्चों का पूरक पोषणाहार उपलब्ध कराना।
- मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
- विषय आधारित कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा उनसे संबंधित गतिविधियां करवाना।
- शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्याखरण कर उसका प्रदर्शन करना।
- अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बढ़ाकर उनको संतुष्ट करना।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा पर्यवेक्षक के साथ सामंजस्य रखना।
- रोल मॉडल (आंगनबाड़ी केन्द्र का शिशु) का प्रदर्शन कर अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
- नमता कार्ड, आईपीसी टूल किट और अन्य सामग्री का उपयोग करना।
- आयोजन संबंधित रिपोर्ट तैयार करना ताकि उचित संशोधन किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
- आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना।
- वृद्धजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना।

- नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आनंदित करना ताकि आंगनबाड़ी केंद्र से प्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारू पाठ्यग्रन्थ हो सके।
  - परियोजना में होने वाली बेस्ट प्रैटिक्स का अनुसरण करना।
  - रिकार्ड का संधारण करना।
2. **पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी)की भूमिका** :- अदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व प्राथमिक शिक्षक (एनटीटी) का पदस्थापन है, तो निम्न कार्य पूर्व प्राथमिक शिक्षक द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर किए जाने हैं:-
- समुदाय को ईसीसीई दिवस आयोजन के स्थान तथा समय के संबंध में अधिक सूचना प्रदान करना।
  - 6 वर्ष से नीचे के सभी बच्चों की सूची तैयार रखना।
  - मासिक ईसीसीई दिवस पर गतिविधियों का निर्धारण करना।
  - विषय आधारित कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा उनसे संबंधित गतिविधियां करवाना।
  - शाला पूर्व शिक्षण सामग्री की व्यवस्था कर उसका प्रदर्शन करना।
  - अभिभावकों के मध्य सकारात्मक सामंजस्य बनाकर उनको संतुष्ट करना।
  - रोल मॉडल (आंगनबाड़ी केंद्र का शिशु) का प्रदर्शन कर अभिभावकों को प्रोत्साहित करना।
  - ममता कार्ड, आईपीसी ट्रूल किट और अन्य सामग्री का उपयोग करना।
  - आयोजन से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना ताकि उचित संशोधन किया जा सके।
  - यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे ईसीसीई दिवस गतिविधियों में भाग ले।
  - आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों के अभिभावक, समुदाय के अन्य बच्चों के अभिभावक तथा समुदाय के सदस्यों को आनंदित करना।
  - बृद्धजनों विशेषकर, दादा-दादी, नाना-नानी को उक्त दिवस पर भाज लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
  - नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को आनंदित करना ताकि आंगनबाड़ी केंद्र से ग्राथमिक विद्यालय तक बच्चे का सुचारू पाठ्यग्रन्थ हो सके।
  - परियोजना में होने वाली बेस्ट प्रैटिक्स का अनुसरण करना।
  - रिपोर्ट तैयार करना तथा रिकार्ड का संधारण करना।
3. **ईसीसीई दिवस के आयोजन में महिला पर्यवेक्षकों की भूमिका** :-
- अपने केंद्र के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के माइक्रोप्लान तैयार करवाया जाना सुनिश्चित करना।
  - अपने क्षेत्र के समस्त ईसीसीई दिवस पर ब्रैटेक नाह उपस्थित होना तथा परियोजना कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
  - आंगनबाड़ी केंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - स्थानीय कलाकार/कारीगर तथा दृश्य-शृंख्य माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - आंगनबाड़ी केंद्र पर स्थान नहीं होने की स्थिति में अन्य स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।



4. मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में बाल विकास परियोजना अधिकारी की भूमिका :-

- यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक बजट की संशोधन प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर उचित समय पर उपलब्ध हो।
  - आंगनबाड़ी केन्द्र पर शाला पूर्व शिक्षा किट गतिविधि पुस्तक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - स्थानीय कलाकार/कारीगर तथा दृश्य-शृंखला माध्यम की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  - आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्थान नहीं होने की स्थिति में अन्य स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

5. मासिक ईसीसीई दिवस के आयोजन में उपनिदेशक की भूमिका :-

- जिले के समरत माइक्रोएलान बनवाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्को आयोजन स्थल, अंगनबाड़ी केन्द्र पर प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करेंगे।
  - माह में कम से कम एक दिवस भ्रमण कर क्षेत्र के कम से कम तीन ईर्षीसीई दिवसों का अवलोकन करेंगे।
  - पंचायत समिति रत्तरीय बैठकों में उपरिथित रहेंगे तथा कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे।
  - जिले में ईर्षीसीई दिवस अपेक्षाकुसार आयोजित हो उसका समरत उत्तरदायित्व जिला उपजिदेशक का होगा।

अतः उपरोक्त नियमित भार्यिक ईसीसीई दिवस आयोजन संबंधी गाइडलाइन के अनुसार आप इस संबंध में अपने जिले के समर्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा-सहयोगिनियों को उपरोक्त गतिविधियों के बारे में विर्देशित करें तथा इस सम्बन्ध में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों समय पर करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(एम.पी.स्वामी)

निदेशक

## समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

साधपूर्व दिनांक

卷之三 國際化工程師

**प्रतिलिपि** - निज्ञ को संचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय से पूर्व करना सुनिश्चित करावें।
  - समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास रोडाएं, (१०००) ३०००
  - एस्ट्रीपी कम उपनिदेशक, मरुख्यालय को विभागीय वेबराईट पर अपलोड करने हेतु

ड करन है  
M.W.  
03-11-20

(महेश शर्मा)

## सहायक निदेशक (आईईसी)

क्रेत बाल विकास

ईसीसीई दिवस हेतु माइक्रोप्लानिंग प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम ..... सेक्टर का नाम .....

सेक्टर का नाम .....

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम..... महिला पर्यवेक्षक का नाम.....

महिला पर्यवेक्षक का नाम.....



## इसीसीई दिवस हेतु माइक्रोप्लानिंग प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम .....

सेक्टर का नाम .....

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम.....

महिला पर्यवेक्षक का नाम.....

क्र.सं.	आ.बा.केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों का नाम	कुल जनसंख्या	कुल शिशु जनसंख्या			इसीसीई ईसीसीई के लाभार्थियों की संख्या	मासिक दिवस पर चर्चा का विवरण	द्विमासिक गतिविधियों का विवरण	अन्तर्वार्षिक गतिविधियों का विवरण	आयोजन में भागीदार का विवरण				
			वार्षिक लक्ष्य	मासिक लक्ष्य	प्रत्येक माह					स्थानीय कारीगर / कलाकार	पचासवीं सम्पादों के सदस्य	राज समुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि	वृद्धजन	इसीसीई क्षेत्र में कार्य एनजीओं के प्रतिनिधि
A	B	C												
	वास्तविक गणना पर आधारित	वास्तविक गणना पर आधारित	कॉलम	A/12	लाभार्थियों की वास्तविक संख्या									

## इसीसीई दिवस हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र

माह का नाम.....

आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम .....

सेक्टर का नाम .....

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम.....

एएनएम का नाम.....

आशा-सहयोगिनी का नाम.....

सीडीपीओ / पर्यवेक्षक का नाम.....

कुल बच्चों की संख्या		माह में होने वाली गतिविधि का नाम		इसीसीई दिवस पर आने वाले बच्चों की संख्या	इसीसीई दिवस पर पीने के पानी व अन्य व्यवस्था की उपलब्धता	इसीसीई दिवस पर आने वाले बच्चों की संख्या
0-3 वर्ष	3-6 वर्ष	0-3 वर्ष	3-6 वर्ष			



## समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम (I.C.D.S.)

राष्ट्रीय बाल नीति—1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाती माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम की प्रथम बाल विकास परियोजना बौसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में 2 अक्टूबर, 1975 को प्रारम्भ की गई। वित्तीय वर्ष 2008—09 तक यह शत—प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना रही। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रकार का प्रशासनिक व्ययभार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा। वर्ष 2009—10 से इस योजना के प्रशासनिक व्यय के लिए भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत राशि तथा शेष 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण निम्नलिखितानुसार हैः—

### **कार्यक्रम के उद्देश्य**

1. 0—6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
3. बाल मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना।
4. बाल विकास को प्रोत्साहन के लिए सम्बन्धित विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना।
5. पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माताओं को प्रशिक्षित करना।

इस कार्यक्रम के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को निम्नलिखित सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं—

क्र. सं.	सेवा	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	5 माह — 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती—धात्री महिलाएँ एवं किशोरी बालिकाएँ
2.	शाला पूर्व शिक्षा	3—6 वर्ष के बच्चे
3.	पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा	15—45 वर्ष की महिलाएँ एवं किशोरी बालिकाएँ
4.	प्रतिरक्षण (टीकाकरण)	0—6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएँ
5.	स्वास्थ्य जांच	0—6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती —धात्री महिलाएँ एवं किशोरी बालिकाएँ
6.	सन्दर्भ (रफरल) सेवाएँ	0—6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएँ

उपरोक्त 6 में से 3 (कम रख्या 4 से 6 तक) सेवाएँ विकल्पीय एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से औंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है।



# राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्



डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017  
दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: cce.rmsa@gmail.com

क्रमांक : रा.मा.शि.प / जय / ICDS / 2018-19 / 5118

दिनांक 25/06/2018

## संस्थाप्रधान

राजकीय प्रा. वि./उ.प्रा.वि./मा.वि./उ.मा.वि.  
समस्त जिला।

**विषय :-** समन्वित आंगनबाड़ी संचालन हेतु संस्थाप्रधान एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रभारी (मैन्टर टीचर) के दायित्व के संबंध में दिशा-निर्देश।

राजस्थान सरकार राज्य में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर एवं उपलब्धि स्तर में सुधार हेतु विशेष बल दिया जा रहा है। यह सिद्ध हो चुका है कि यदि बच्चों की पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर पर गुणात्मक शिक्षण हेतु उचित ध्यान दिया जाए तो आगे की कक्षाओं में बच्चों की उपलब्धि स्तर में अत्यधिक सुधार होता है।

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन हेतु राज्य में पूर्व से ही एसआईक्यूई कार्यक्रम संचालित है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा संचालित ECE के अन्तर्गत गुणात्मक पूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने एवं तीन वर्ष की आयु से ही बच्चों की शिक्षा की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी विद्यालयों के निकट स्थित (500 मीटर) सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को समन्वित किया गया है। इस संबंध में दिनांक 08.08.16 को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, दिनांक 24.04.2017 को उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं दिनांक 31.01.2018 को प्राथमिक विद्यालयों हेतु शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा आंगनबाड़ी के समन्वयन के सम्बन्ध में संयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में विद्यालय स्तर पर संस्थाप्रधान एवं उनके द्वारा नामित पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रभारी (मैन्टर टीचर) द्वारा समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों को उचित सहयोग एवं मॉनिटरिंग प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कार्य किए जाने अपेक्षित हैं।

**मैन्टर टीचर (शालापूर्व शिक्षाप्रभारी)** के द्वारा आंगनबाड़ी हेतु किए जाने वाले कार्य:-

1. **दैनिक कार्य:-**—मैन्टर टीचर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि—

- आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतिदिन पूरे समय के लिए खुलता है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी उपस्थित हैं और प्रतिदिन समय पर आती हैं।
- आंगनबाड़ी केन्द्र साफ – सुधरा है।
- सभी बच्चे नहाकर आए हैं एवं साफ वस्त्र पहन रखें हैं।
- पोषाहार लेने से पहले सभी बच्चों ने साबुन से हाथ धोए हैं।
- केन्द्र पर सभी गतिविधियाँ आईसीडीएस द्वारा जारी समय सारणी अनुसार संचालित की जा रही हैं।

2. **साप्ताहिक कार्य:-**

- किन्ही 3-4 बच्चों की अभ्यास पुस्तिका की जाँच करना और यह देखना कि बच्चों द्वारा उसमें कार्य किया गया है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा केन्द्र को दिया गया पीएसई किट उपलब्ध है तथा बच्चों को उन खिलौनों से खेलने का अवसर दिया जाता है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कक्षा प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों की बैठक व्यवस्था में सुधार करना, कक्ष को व्यवस्थित करना, गतिविधि के आयोजन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देना आदि।
- केन्द्र पर आने वाले सभी बच्चों को सप्ताह में एक दिन विद्यालय के आईसीटी लैब में कम्प्यूटर द्वारा उनकी आयु अनुरूप कार्यक्रम दिखाने में सहयोग करना।

3. **मासिक कार्य:-**

- प्रति माह अमावस्या को आयोजित होने वाली आंगनबाड़ी अभिभावक बैठक (PAM) हेतु अभिभावकों को आमंत्रण हेतु संदेश भेजना एवं बैठक में छात्र प्रगति रिपोर्ट साझा करना।
- आंगनबाड़ी-अभिभावक बैठक में सक्रिय रूप से भागीदारी हेतु—

✓/✓

- हर बैठक में प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख के महत्व पर कम से कम 15 मिनट चर्चा करना।
- अभिभावकों के साथ बच्चों के आंकलन प्रपत्र साझा करना एवं चर्चा करना।
- अभिभावकों से व्यक्तिशः चर्चा करना एवं कार्यकर्ता को इस हेतु सहयोग प्रदान करना।
- बैठक में उपस्थिति एवं अन्य मुद्दों का रिकॉर्ड रखने एवं अनुपस्थित रहने वाले अभिभावकों से संपर्क करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग करना।
- ICDS द्वारा जारी इन्फास्ट्रक्चर चैक लिस्ट के अनुसार केन्द्र पर सामान की उपलब्धता की जाँच करना।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से मासिक कार्ययोजना का निर्माण करना एवं गत माह से इस माह तक की प्रगति की जाँच करना।

#### **4. त्रैमासिक कार्यः—**

- किन्हीं तीन बच्चों के मूल्यांकन प्रपत्र चुनकर एवं उनकी पूर्ति की जाँच करना एवं सुधार हेतु सुझाव देना।

**संस्थाप्रधान के द्वारा समन्वित आंगनबाड़ी हेतु किए जाने वाले कार्य**

#### **1. दैनिक कार्यः—**

- भौतिक रूप से समन्वित (Physically Integrated) आंगनबाड़ी का कम से कम एक बार एवं कार्यात्मक रूप से समन्वित आंगनबाड़ी (Functionally Integrated) का सप्ताह में एक बार अवलोकन कर अवलोकन पंजिका में दर्ज करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आंगनबाड़ी केन्द्र पूरे समय खुलता है।
  - यदि आंगनबाड़ी केन्द्र नियमित रूप से एवं पूर्ण समय नहीं खुलता तो कारणों का पता कर उसके निदान के लिए यदि आवश्यक हो तो इस बारे में बीईआर एवं महिला सुपरवाइजर को सूचित किया जाना।
- केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की अनुपस्थिति की स्थिति में ECE गतिविधियों के संचालन हेतु यथा संभव वैकल्पिक व्यवस्था करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित एवं साफ सुधरा स्थान उपलब्ध है।
- यह सुनिश्चित करना कि भौतिक रूप से समन्वित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बालक-बालिकाओं एवं कार्यकर्ता व अन्य कार्मिकों हेतु—
  - अलग एवं कार्यशील शीघ्रालय उपलब्ध है।
  - पीने का साफ जल उपलब्ध है।
  - कचरा पात्र उपलब्ध है।
  - बिजली उपलब्ध है। (विद्यालय में विद्युत कनेक्शन होने की स्थिति में)
- केन्द्र द्वारा गर्भधात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कुशल संचालन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

#### **2. साप्ताहिक कार्यः—**

- सुनिश्चित करना कि आंगनबाड़ी केन्द्र पर सभी बालक-बालिकाओं को सही समय पर एवं उचित मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण पोषाहार दिया जा रहा है।
- प्रतिसप्ताह कम से कम 5 बच्चों की अभ्यास पुस्तिका एवं पोर्टफोलियों का अवलोकन करना।

#### **3. मासिक कार्यः—**

- परिवार सेवा रजिस्टर का निरीक्षण करना एवं कैचमेन्ट एरिया के सभी 3-6 वर्ष के बालक — बालिकाओं का नामांकन केन्द्र पर करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं मेन्टर टीचर को निर्देशित करना।
- आंगनबाड़ी संचालन में कोई समस्या आने पर आवश्यकतानुसार स्तर (जिला शिक्षा अधिकारी / महिला पर्यवेक्षक / सीडीपीओ / जिला उपनिदेशक) को रिपोर्ट कर समाधान कराना।
- शालादर्पण एवं शालादर्शन पर आंगनबाड़ी केन्द्र से समन्वित सभी सूचनाओं को समय पर अपलोड करवाना।
- आंगनबाड़ी—अभिभावक बैठक में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु—
  - मेन्टर टीचर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा अभिभावकों को आमंत्रित करने एवं बैठक आयोजन में सहयोग प्रदान करना।
  - महिला पर्यवेक्षक को इस बैठक में आने हेतु समय पर सूचित करना एवं बैठक में उनके द्वारा दिए गए सुझावों को यथासंभव अमल में लाना।

- प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखरेख (ECCE) पर लघु उद्बोधन देना।
- अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केन्द्र पर भेजने हेतु व उनसे अपेक्षित अन्य सहयोग पर चर्चा करना।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी की उपस्थिति को रजिस्टर में प्रमाणित करना।
- प्रतिमाह आंगनबाड़ी कक्ष पर संचालित ECE गतिविधि का कम से कम एक बार 30 मिनट का अवलोकन करना एवं बिन्दुओं को दर्ज कर, समीक्षा बैठक में सुधार हेतु उन पर चर्चा करना।
- प्रतिमाह एक बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका और शालापूर्व शिक्षा प्रभारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर निम्न बिन्दुओं पर चर्चा करना—
  - बच्चों की उपस्थिति की रिधति
  - बच्चों की शैक्षिक प्रगति
  - केन्द्र पर आवश्यक सामग्री की उपलब्धता
- विद्यालय विकास हेतु वार्षिक योजना का निर्माण कर आंगनबाड़ी को भी उसमें शामिल करना तथा मासिक बैठक में उसकी प्रगति की चर्चा करना।
- SDMC की बैठक एवं अन्य अवसरों पर आंगनबाड़ी विकास हेतु सामुदायिक सहयोग हेतु लोगों को प्रेरित करना।
- विद्यालय में आयोजित होने वाले पर्वों एवं उत्सवों में आंगनबाड़ी के बच्चों को भी योजना बनाकर शामिल किया जाए।

संलग्न— प्री स्कूल किट (PSE) चैकलिस्ट, इन्फास्ट्रक्चर चैक लिस्ट।

(जोगाराम)

आयुक्त

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. निजी सहायक आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें।
6. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप., जयपुर।
8. उपायुक्त (एस.आई.क्यू.ई.) रामाशिप जयपुर।
9. जिला परियोजना समन्वयक / अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला, को देकर लेख है कि संलग्न निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
10. शालादर्पण प्रभारी।
11. कार्यालय प्रति।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

## प्री स्कूल किट (PSE) चैकलिस्ट

क्र. स.	वस्तु का नाम	संख्या	हॉ/ना
1	घड़ी का प्रतिरूप	1	
2	प्लास्टिक के फल का सेट	8	
3	प्लास्टिक के सब्जियों का सेट	8	
4	प्लास्टिक के जानवरों का सेट	8	
5	डफली	1	
6	प्लास्टिक के किचन सेट (चम्मच, कांटा, कप, स्टोप, चकला आदि)	1	
7	प्लास्टिक डाक्टर प्ले सेट(स्टेथोइसकोप, इंजेक्शन, गोली, फर्स्ट एड किट आदि)	1	
8	पहेलियों का सेट(फल, सब्जी, मानव अंग, पहेलियों)	5-6	
9	विलिंग ब्लॉक्स के सेट	1-2	
10	लेसिंग बोर्डस धागा व मोती के साथ	3	
11	पानी के रंगों का सेट (कम से कम 10 रंग प्रति सेट)	2	
12	सफेद कागज की रिम	1	
13	स्कैच पेन सेट	2	
14	रंगीन पेन्सिल सेट	2	
15	रंगीन चॉक के सेट 15 चॉक	2	
16	पेन्ट ब्रश सेट	4	
17	मोम के रंग का सेट	4	
18	कहानी की किताबें	15-20	
19	कविता चार्ट	3 (अंग्रेजी-1, हिन्दी-2)	
20	प्लास्टिक के फ्रेम में दर्पण	1	
21	रंगीन चार्ट्स	10	
22	झायंग पेपर पैकेट	20	

## इन्फ्रास्ट्रक्चर चैक लिस्ट

1	क्या केन्द्र पर बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है। (अगर हॉं तो कम से कम 10 या अधिक बच्चों के लिए डेस्क, कुर्सिया अथवा टेबल उपलब्ध होनी चाहिए)	
2	क्या कक्ष की दिवारों पर बच्चों की आयु अनुरूप भित्ती चित्र बनाए गए हैं। जैसे की वर्णमाला के चित्र, जानवरों के चित्र, फलों एवं सज्जियों के चित्र आदि।	
3	क्या कक्ष में शैक्षिक पोस्टर्स उपलब्ध हैं।	
4	क्या आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हेतु कुर्सी उपलब्ध हैं।	
5	क्या आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हेतु मेज उपलब्ध हैं।	
6	क्या आंगनबाड़ी केन्द्र पर अलमारी उपलब्ध है।	
7	क्या केन्द्र पर बच्चों के बैठने के लिए दरी-पट्टी उपलब्ध हैं।	
8	क्या बच्चों द्वारा किए गए रचनात्मक कार्य को प्रदर्शित करने की व्यवस्था है।	
9	क्या केन्द्र पर पीने हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध है।	
10	क्या केन्द्र पर विद्युत कनेक्शन है।	
11	क्या केन्द्र पर पंखे एवं लाइट्स हैं।	